सामरी वैश्य जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल

पटना। बिहार सरकार ने सामरी वैश्य जाति को पिछड़ा वर्ग से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जातियों की संख्या 117 हो गई है। नौकरी में आरक्षण देने के लिए गठित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज 'सामरी वैश्य' जाति को इस स्थान से हटाकर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-117 पर शामिल किया गया है। कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। अब इस वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिलास्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों, अर्द्धसरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों और लोक उपक्रमों की सभी सेवाओं में लाभ मिलेगा।